कार्यालय मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग,राजस्थान जयपुर।

क्रमांकः- 994 दिनांकः- 16-07-2015

परिपत्र संख्या 04 /2015

प्रायः यह देखा गया है कि पूर्ण हुए कार्यों को फाईनल करने में अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा अत्यधिक समय लिया जाता है, जिसके कारण संवेदकों के अन्तिम बिलों के निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब होता है, जिसे प्रशासनिक विभाग द्वारा गंभीरता से लिया गया है। उल्लेखनीय है कि विभिन्न योजनाओं के तहत सम्पादित किये जाने वाले कार्यों के अनुबंध में इस संबंध में स्पष्ट प्रावधान दिये हुए हैं। उदाहरणतः प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के कार्यो में एस.बी.डी. में जी.सी.सी. पार्ट प्रथम की धारा 50 के अन्तर्गत कार्य समाप्ति के 42 दिवस की अवधि में संवेदक के अंतिम बिल का भुगतान किया जाना नियत है।

समय समय पर पूर्व में भी अधीनस्थ कार्यालयों को इस बाबत निर्देशित किया जाता रहा है कि अन्तिम बिलों का निस्तारण शीघ्रताशीघ्र करें। कार्य पूर्ण होने के लम्बे समय पश्चात् भी अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा कार्यों का अन्तिम बिल लम्बित रखा जाता है, जिससे यह प्रतीत होता है कि अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा कार्य निष्पादन में शिथिलता बरती जा रही है।

अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में कार्य पूर्ण होने के पश्चात् संवेदकों के विवाद रहित अन्तिम बिलों का भुगतान अनुबंध में दिये गये प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समयावधि में करना सुनिश्चित करें। यदि किसी अन्तिम बिल के निस्तारण में समयावृद्धि प्रकरण, एक्सेस आईटम एवं एक्स्ट्रा आईटम स्लिप की स्वीकृति की आवश्यकता हो, तो उस पर शीघ्र सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर अन्तिम बिल का निस्तारण किया जाना सुनिश्चित किया जावे। यदि अन्तिम समयावृद्धि प्रकरण संवेदक द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो नियमानुसार निर्धारित समयावधि में अधीनस्थ कार्यालय द्वारा प्रकरण बनाकर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जावे। यदि इसमे शिथिलता बरती जाती है जो सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित की जावे।

10-7-15

(जी.एल. राव)
मुख्य अभियन्ता एवं अतिरिक्त सचिव,
सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर ।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, मुख्य अभियन्ता एवं अतिरिक्त सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. मुख्य अभियन्ता (एन एच), (एस.एस.), (पी.एम.जी.एस.वाई.), (भवन) सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, संभाग- ..... (समस्त).
7. अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वृत- ..... (समस्त).
8. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड- ..... (समस्त).

10-7-15

मुख्य अभियन्ता एवं अतिरिक्त सचिव,
सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर ।